

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस'

[25/2/2016]

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 60 (कृषि)
प्रश्न सं. [क्र. 2160]

म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, विगत 3 वर्षों में बढ़ाई गई वेट की दर।

परिशिष्ट "ए"

(प्रतिशत में)

अनुक्रमांक	वस्तु का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1.	पेट्रोल	27	27 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक) 31 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 1 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 25. 11.2015 से प्रभावशील)	31 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 1 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 25.11.2015 से 3.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 2 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 3 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील)
2.	डीजल	23	23 (1.4.2014 से 19.12.2014 तक) 27 (20.12.2014 से)	27 (20.12.2014 से) अतिरिक्त कर - 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 04.01.2016 से 22.01.2016 तक) अतिरिक्त कर - 1 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23. 01.2016 से प्रभावशील)

1/2 06/02/2016
संचालक
वाणिज्यिक कर आयुक्त
मध्यप्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट "बी"

म.प्र. में एल.पी.जी, प्राकृतिक गैस (सीएनजी) एवं केरोसीन पर वेट की दर।

अनुक्रमांक	वस्तु का नाम	(प्रतिशत में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1.	LPG गैस (घरेलू)	5	5	5
	LPG गैस (व्यवसायिक)	13	13	14
			दिनांक 01.04.2015 से 14 किया गया ।	दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील ।
2.	प्राकृतिक गैस (कम्प्रेसड प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करते हुए)	13	13	14
			दिनांक 01.04.2015 से 14 किया गया ।	दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील ।
3	केरोसिन	5	5	5

10/6/21/6

संचालक

वाणिज्यिक कर आयुक्त
मध्यप्रदेश, इंदौर